



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ 226001

website- www.swsmup.org

पत्रांक: 1221 /W-314/JJM-ISA

दिनांक: 09 सितम्बर, 2020

प्रेस नोट

“जल जीवन मिशन” के क्रियान्वयन के लिये इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) के इम्पैनलमेन्ट हेतु कुल 230 निविदाओं में से 180 निविदाओं को तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया। यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि तकनीकी रूप से अर्ह उक्त संस्थाओं में कतिपय संस्थाओं की आपराधिक जॉच एजेन्सियों यथा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्लू0) एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0) द्वारा आपराधिक जॉच की जा रही है, इन संस्थाओं को कार्य आवंटित न किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त 180 संस्थाओं में से 08 संस्थाएं ऐसी पायी गयीं, जिनकी सी0बी0आई0 अथवा ई0ओ0डब्लू0 द्वारा जॉच चल रही है।

ई0ओ0डब्लू0 की आपराधिक जॉच की परिधि में आने वाली संस्थाएं:-

1. विंग्स, लखनऊ।
2. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई।
3. स्वजन शिक्षण संस्थान, कुर्मान्वल नगर, इन्दिरानगर, लखनऊ।
4. अभिनव, मुजफ्फरनगर तथा

सी0बी0आई0 की आपराधिक जॉच की परिधि में आने वाली संस्थाएं:-

1. SAI SEWA SANSTHAN, 118, Ashok Nagar, Bansi, Siddharthnagar,
2. THARU JANJATI MAHILA VIKAS SAMITI, No.638, Avas Vikas Colony, P.O. Badagaon, District-Gonda-271002 ,
3. Gramin Mahila Evam Bal Utthan Sewa Samiti, Vill & Post-Aundahi Kala, Tehsil-Sohratgarh, District Siddharthnagar- 272204,
4. Support for Implementation and Research (SIR), S-4, 2nd Floor, Karamat Complex, Nishatganj, Lucknow-226006 (U.P.),

अतः इन 08 संस्थाओं को कार्य न दिए जाने का निर्णय लिया गया।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य में किसी इम्पैनल्ड संस्था के विरुद्ध आपराधिक जॉच एजेन्सियों यथा सी0बी0आई0, ई0ओ0डब्लू0 इत्यादि की आपराधिक जॉच संस्थित/प्रचलित होने की जानकारी प्राप्त होती है तो उन संस्थाओं का भी तत्काल इम्पैनेलमेंट एवं निष्पादित अनुबन्ध निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

09.09.2020

(सुरेन्द्र राम)

आई0एस0ए0

अधिशासी निदेशक/मिशन निदेशक